संख्या-35/2024/001-719-22-4-2024-1540493

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 19 सितंबर, 2024

विषय:- जिला कारागार, महाराजगंज में समरसेबिल पम्प एवं जिला कारागार, आजमगढ़ में 02 नग इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-23201/नम-2/महाराजगंज, आजमगढ़ (समरसेबिल / हैण्ड पम्प)/2021, दिनांक 01.08.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला कारागार, महाराजगंज में 01 नग समरसेबिल पम्प की स्थापना हेतु स्वीकृत लागत सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1.00 लाख एवं जिला कारागार आजमगढ़ में 02 नग इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प की स्थापना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 0.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण / शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	जिला कारागार महाराजगंज	01 नग समरसेबिल पम्प की स्थापना	2.00	1.00
2	जिला कारागार आजमगढ़	02 नग इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प की स्थापना	1.00	0.50
		योग-	3.00	1.50

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत योजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-2/2022/1364/22-4-2021-48(52)/2021, दिनाँक 05.01.2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रस्तावित सबमर्सिबल ट्यूबवेल में उपकरणों की खरीद सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनाँक 23.08.2017, दिनाँक 25.08.2017 तथा दिनाँक 29.08.2017 जिसमें जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, के अनुसार क्रय किया जाएगा ।
(5) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
(6) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001100 कारागार विभाग के भवनों/परिसर में लघु निमार्ण कार्य **मानक मद** 25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-35/2024/001-719-22-4-2024-1540493, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, महाराजगंज / आजमगढ़ ।
(5) वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक, जिला कारागार, महाराजगंज / आजमगढ़।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।